

नवा भारत



आतंकी हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंचा

40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद 2019 में

19 आरोपियों को नामजद किया गया था चार्जशीट में

नई दिल्ली, 21 मई. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पुलवामा आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया. मुजफ्फराबाद के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उसकी मौत पर ही मौत हो गई.

भारत की जांच एजेंसियों अभी भी हमले से जुड़े अन्य आतंकीयों और उनके नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं. पुलवामा आतंकी हमले के

मारा गया पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड

मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को जहन्नुम में भेज दिया गया. इस आतंकी हमले के बाद अब आतंकीवादियों का पूरा गिरोह दहशत में आ गया है.

हमजा बुरहान लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ था और खुद को शिक्षक बताता था. बुरहान फर्जी डॉ का डिग्री हासिल किया था. हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था और वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रबीपोरा का रहने वाला था। वह आतंकी संगठन अल-बद्र का कमांडर था और जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता था.

हमजा पिछले कई वर्षों से पीओके में फर्जी पहचान के सहारे रह रहा था. वह स्कूल शिक्षक बनकर आतंकी नेटवर्क और घुसपैठ गतिविधियों को संचालित



कर रहा था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पुलवामा हमले से जुड़ी चार्जशीट में भी उसका नाम शामिल था. बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेशपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद

ने ली थी. जांच एजेंसियों के अनुसार हमजा इस हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था. पुलवामा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने करीब 13,500 पनों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 19 आरोपियों को नामजद किया गया था. जांच में पाकिस्तानी आतंकी संगठन और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से हमले की योजना का खुलासा हुआ था। इन आरोपियों ने हथियार, विस्फोटक और पनाह देने जैसी गतिविधियों में मदद की थी। हमजा बुरहान की मौत के बावजूद चार बड़े आरोपी-मसूद अजहर, उसका भाई रजफ असगर, अम्मर अल्वी और आशिक अहमद नेहरू-अब भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं.

धुरंधर स्टाईल में हुई बुरहान की हत्या

घटना का स्थान: हमजा बुरहान की हत्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद में हुई. घटना के समय वह कार में सड़क पर जाय में फंसा हुआ था। हत्या का तरीका-हमलावर बाइक से आए थे और बुर्का पहन रखे थे। उन्होंने हमजा पर कई गोलीयां चलाई, जिससे वह मौके पर ही मारा गया। हमजा का आतंकी प्रोफाइल-असली नाम- अर्जुमंद गुलजार डार। जन्म और मूल स्थान- पुलवामा, रबीपोरा 2017 में पाकिस्तान गया और आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हुआ. अल-बद्र में कमांडर बन गया. 2022 में भारत के गृह मंत्रालय ने उसे आतंकी घोषित किया। कश्मीर में गतिविधियां-दक्षिण कश्मीर में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया कराता था. कट्टरपंथ की ओर ले जाने और आतंकी संगठनों में शामिल करने का आरोप. पुलवामा से शोपियां तक अपना नेटवर्क फैलाया. पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के लिए काम करता था. अब दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी था। पाकिस्तान में हमजा की छिपी पहचान-पाकिस्तान में उसने एक स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम किया. अपने लोगों के बीच डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध था.

हमजा की मौत का महत्व- पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका. पुलवामा हमले के बाकी गुनहगारों पर भी भारतीय एजेंसियों की निगरानी जारी.

बंगाल के सभी मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य

शुभेंद्र अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला लागू

मदरसा क्लास से पहले राष्ट्रगीत गाना होगा जरूरी



कोलकाता, 21 मई. पश्चिम बंगाल की शुभेंद्र अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में बड़ा बदलाव लागू किया है. अब मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य होगा. साथ बंगाल में एनआरसी भी लागू हो गया है. अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने इस नए आदेश को जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सरकारी मांडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम) से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा. इसका मकसद छात्रों में राष्ट्रभक्ति को भावना को बढ़ावा देना और शिक्षा संस्थानों में एकरूप नीति लागू करना बताया जा रहा है. इससे

पहले मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य किया था. अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया है. आदेश में सभी मदरसा प्रशासकों और संस्थान प्रमुखों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. इस कदम को लेकर शिक्षा और राजनीति जगत में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह निर्णय धर्म और शिक्षा नीति के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करता है. इससे पहले 14 मई 2026 को शुभेंद्र अधिकारी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी वंदे मातरम गाने को अनिवार्य कर दिया था.

एक नजर में

मोदी के साथ कल वार्ता करेंगे साइप्रस के राष्ट्रपति नई दिल्ली. तीन दिन की भारत यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलीडिस गुरुवार शाम मुंबई से यहां पहुंचे. केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टट्टा ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ही रही है. वह शुक्रवार को श्री मोदी के साथ यहां द्विपक्षीय बैठक करेंगे. उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें विदेश मंत्री डॉ. कोन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफेयाडेस, वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलीडिस की भारत की यह पहली यात्रा है.

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन स्थगित नयी दिल्ली. भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यह सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होना था. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि भारत, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया. दोनों पक्षों ने माना कि मौजूदा स्वास्थ्य परिस्थितियों को देखते हुए सम्मेलन को बाद की तारीख में आयोजित करना उचित रहेगा.

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन को ईंधन न दें

अवैध खनन में लगे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई से माफिया पर अंकुश



नई दिल्ली, 21 मई. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंबल सेंक्रुअरी में अवैध खनन को रोकने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट वाले वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह कदम अवैध खनन माफिया की गतिविधियों को रोकने और सेंक्रुअरी के संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है.

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब्त वाहन अब जुमाना भरने

के बाद वापस नहीं दिए जाएंगे चंबल के पास के गांवों में रेत और अन्य खनिजों का अवैध दोहन लंबे समय से जारी है. राजस्थान सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि खनन में लगे वाहनों को जब्त किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता शामिल हैं, ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खनन नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं की पहचान करें.

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की है. कोर्ट के इस आदेश से न केवल खनन माफिया पर अंकुश लगेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सेंक्रुअरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. इसके अलावा, पेट्रोल पंपों को दिए गए निर्देशों से अवैध वाहनों को ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगेगी, जिससे अवैध गतिविधियों की गति धीमी होगी. यह आदेश न्यायालय की यह स्पष्ट चेतावनी भी है कि पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. चंबल सेंक्रुअरी की सुरक्षा, लोगों की आजीविका और खनन माफिया पर नियंत्रण इस मामले के मुख्य मुद्दे बने हुए हैं.

एमपी राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में 10 सदस्य होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है. इससे व्यापारी समुदाय के कल्याण के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा.

समिति में मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 10 सदस्य होंगे. अपर मुख्य

सीएम होंगे बोर्ड के अध्यक्ष, आदेश जारी



सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर, वित्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, खनिज साधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पशुपालन एवं

डेयरी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, कूटीर एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, उद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन विभाग और सीईओ, राज्य नीति आयोग, क्षेत्रीय प्रमुख- भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय अधिकारी-नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वरिष्ठ प्रबंधक-भारतीय कन्टेनर निगम, सीजीएम-नाबाईड, शाखा प्रबंधक-ईसीजीसी, एक्जीम बैंक, क्षेत्रीय प्रमुख-एफिड, आयुक्त-एफएसएसएआई, सीईओ-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आधिकारिक-सदस्य होंगे.

सीईओ-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, संचालक-आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को संस्था के पदेन सदस्य और राज्य प्रमुख-सीआईआई, फिफ्सी, फिओ, डिफ्सी, लघु उद्योग भारती एवं अन्य राज्य स्तरीय व्यापार समिति तथा संघ को शीर्ष केम्बरा से पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है. प्रबंध संचालक, मप्र इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल को सदस्य-सचिव नामित किया गया है. अध्यक्ष की अनुमति से मप्र राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड में आवश्यकानुसार संशोधन किया जा सकेगा.

गाय को मारना ईद का हिस्सा नहीं: हाई कोर्ट

बकरीद से पहले बंगाल में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोलकाता, 21 मई. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें गाय, बैल, बछड़े, भैंस और अन्य पशुओं के वध को लेकर सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

यह मामला बकरीद से ठीक पहले सामने आया, जिससे यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सुजाय पॉल और न्यायमूर्ति पाथ

सारथी सेन शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि सरकार का नोटिफिकेशन पहले से मौजूद न्यायिक आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि 2018 के एक पुराने मामले में दिए गए आदेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, इसलिए इस नोटिस पर रोक लगाने या इसे रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता और खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पिता ही निकला बेटी का हत्यारा

पिता ने बेटी की हत्या कर ट्रेन में फेंका था शव

तीसरी भी बेटी पिता के गुस्से की शिकार



लखनऊ, 21 मई. गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्लीपर कोच में एक टिन के बक्से में मिली किशोरी की शव संबंधी घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. जांच में सामने आया कि यह हत्या पिता के डर, गुस्से और 'इज्जत' की सोच का नतीजा थी.

लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में टिन का बक्सा मिलने से एक भयावह रहस्य सामने आया. पुलिस जांच

में पता चला कि बक्से में मिली किशोरी की शव के टुकड़े किसी गैंगवार या सौरियल किलिंग का हिस्सा नहीं थे. यह घटना कुशीनगर के पिता बिग्नन अंसारी की मानसिकता और गुस्से की वजह से हुई. पिता को डर था कि उसकी तीसरी बेटी शब्बा भी घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसकी दो बेटियां पहले ही घर छोड़ चुकी थीं. शब्बा

का मोबाइल पर दूसरे समुदाय के युवक से संपर्क रखना उसके लिए लगातार चिंता का कारण था. इसी डर और तथाकथित 'इज्जत' की भावना ने पिता को इतना कठोर बना दिया कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, बिग्नन ने पहले से योजना बनाई थी. उसने पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारी भेज दिया.

थाना प्रभारी सहित चार पर एफआईआर

गांजे के केस में फंसाने की धमकी देकर 95 हजार वसूली

नवभारत न्यूज पत्रात पत्रा, 21 मई. जिले के मड़ला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी को झूठे गांजे के केस में फंसाने की धमकी देकर मला थाना पुलिस और एक शराब ठेके के कर्मचारी द्वारा मिलीभगत कर 95,000 की वसूली का मामला दर्ज हुआ है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए रिवा से शून्य पर दर्ज हुई कायमी के बाद मड़ला थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी रचना पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और साजिश की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. हासिल जानकारी के अनुसार बागेश्वरधाम दर्शन करने जा रहे रिवा के एक सोने-चांदी के व्यापारी को मड़ला पेट्रोल पंप के पास रोककर गाड़ी में गांजा होने का डर दिखाया गया. इसके बाद करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर केस रफा-रफा करने के एवज में 95,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए. पीड़ित को शिकायत पर पुलिस ने मड़ला थाना प्रभारी रचना पटेल, मुंशी रज्जाक खान,

आरक्षक रामशरण अहिरवार और शराब ठेके के कर्मचारी बृजेश यादव पर मामला दर्ज किया है. दर्शन करने जा रहे थे व्यापारी, रास्ते में घेरा - रिवा के वार्ड क्रमांक 31, तरहीटी मोहल्ला निवासी पीड़ित सर्राफा व्यापारी मोहनलाल सोनी पिता शंकरलाल सोनी ने बताया कि 14 मई की दोपहर करीब 1 बजे वह अपनी माहुति कार से बागेश्वरधाम दर्शन के लिए निकले थे. शाम करीब 5 बजे जैसे ही उनकी कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई. इसी दौरान सिविल कर्पड़ों में दो लोग आए और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीच की सीट से एक काली पॉलीथिन निकाली.

उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम्हारी गाड़ी में गांजा है, तुम अवैध तस्करी कर रहे हो, थाना चलो. शराब ठेके के पीछे ले जाकर 2 घंटे दी धमकी - व्यापारी ने जब खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह कोई नशा नहीं करते, तो कार में बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय मड़ला थाने के मुंशी रज्जाक खान के रूप में दिया और दूसरे ने अपना नाम बृजेश यादव बताया जो वहीं शराब ठेके पर काम करता है.

दोनों जबरन कार में बैठ गए और गाड़ी को पास के ही शराब ठेके के पीछे ले गए। वहां वदी पहले एक और पुलिसकर्मी रामशरण अहिरवार भी आ गया। तीनों आरोपियों ने मिलकर व्यापारी को शाम 7 बजे तक गांजे के केस में जेल भेजने की धमकी दी और उरया-धमकाया. केस से बचने के एवज में मुंशी रज्जाक खान और बृजेश यादव ने 1 लाख की मांग की. व्यापारी द्वारा कारकी मित्रते करने के बाद वे 95,000 पर माने. आरोपियों ने अलग-अलग नंबरों और वयुआर कोड पर 45,000 और 50,000 के दो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए. कुल 95 हजार रुपए वसूलने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया।

कानाफूसी

परफॉर्मंस, पॉलिटिक्स और गठबंधन- मोदी 3.0 के विस्तार का नया त्रिकोण



विस्तार केवल चेहरों का बदलाव नहीं होगा

प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 21 मई. केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी आरंभ हो गई है. चर्चा है कि यह विस्तार केवल चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को नई ऊर्जा देने का प्रयास होगा. इतना ही नहीं इस विस्तार के सहारे हिंदी पट्टी

के राज्यों को राजनीतिक समीकरण और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब जैसे चुनावी राज्यों के जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया जा सकता है. जानकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद की बुलाई गई विशेष बैठक ने उन चर्चाओं को हवा दे दी है कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ यानी 09 जून से ठीक पहले या तुरंत बाद एक बड़े बदलाव के मूड में है. बताया जा रहा है कि इस संभावित विस्तार के पीछे कई

रणनीतिक कारण छिपे हैं. पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रदर्शन आधारित राजनीति है. मोदी सरकार में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके भविष्य का आधार बनता रहा है. जिन मंत्रालयों में योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रहा है, वहां नेतृत्व परिवर्तन कर प्रधानमंत्री यह संदेश देते रहे हैं कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा. जबकि दूसरा पहलू राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन का है. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा

चुनाव होने हैं. ऐसे में भाजपा नेतृत्व की कोशिश होगी कि उन क्षेत्रों और समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. क्योंकि 2027 का सबसे बड़ा रण उत्तर प्रदेश है. पिछले लोकसभा चुनावों के सबक को देखते हुए, भाजपा इस विस्तार में उत्तर प्रदेश से पिछड़ा वर्ग और दलित चेहरों को प्रमुखता दे सकती है. यह कोशिश उन समुदायों को फिर से अपने पाले में लाने की है जो लोकसभा चुनाव के समय राजग खेमे से छिटक गए थे.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समीकरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटें दलों के साथ तालमेल को कैबिनेट के जरिए मजबूती दी जाएगी. तीसरा बड़ा कारण सहयोगी दलों के साथ समन्वय है. गठबंधन सरकार होने के नाते, सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें शासन में महत्वपूर्ण भागीदारी देना सरकार की स्थिरता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है. इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.